न्यायालय–विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ0 नि0) अधिनियम, जौनपुर।

फौजदारी प्रकीर्ण वाद संख्या–17/2026
(पंजीकरण सं0–64/2026)
अच्छेलाल––––––––––बनाम–––––––अरूण कुमार एवं अन्य।

दिनांक–03.04.2026

पत्रावली प्रस्तुत। बार–बार पुकार कराई गई एवं इंतजार किया गया। इंतजार के बावजूद भी आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक पूर्व तिथियों पर भी अनुपस्थित रहा है। विगत तिथि पर आवेदक की ओर से प्रस्तुत स्थगन प्रार्थनापत्र अंतिम अवसर के साथ स्वीकार करते हुए पत्रावली आज की तिथि के लिए नियत की गयी थी, परन्तु आज की तिथि पर बार–बार पुकार कराये जाने एवं इंतजार के बावजूद आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया है। आवेदक की ओर से कोई स्थगन प्रार्थनापत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदक के निरन्तर अनुपस्थित रहने से यह प्रतीत होता है कि आवेदक वर्तमान प्रकरण में कोई रूचि नहीं ले रहा है और प्रार्थना पत्र पर कोई बल नहीं देना चाहता है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में आवेदक की अनुपस्थिति में प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक अच्छेलाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173 (4) भा0ना0सु0सं0 निरस्त किया जाता है। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(रणजीत कुमार)
विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम, जौनपुर।
जे0ओ0कोड–6509

Digitally signed by RANJEET KUMAR
Date: 2026.04.03 16:27:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court